>

Title : Need to increase the number of BPL card holders.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, शून्य काल के विषयों के बैलेट में आज मेरा नाम आया है और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह अविलम्बनीय विषय भी है और लोक महत्व का भी है। पूरे सदन को इस विषय के बारे में जिज्ञासा भी होगी, जो मैं यहां उठाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एन.सी. सक्सेना, पूर्व खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने अपनी अनुशंसा सरकार को दे दी है। इस समय पूरे देश में लगभग 28 फीसदी बीपीएल कार्ड धारक हैं। उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक इस समय देश में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 50 फीसदी हो गई है। मुझे अफसोस है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। सरकार ने अभी एक स्कीम लागू की है कि प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारक को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं या चावल दिया जाएगा।[R1]

जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ गयी है, महंगाई जबर्दस्त बढ़ी हुई है, सूखा भी पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में सरकार को तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर, इस सदन में घोषणा करनी चाहिए कि हम 50 फीसदी कब से लागू करने जा रहे हैं। उसका एक जीओ इश्यू करें और तत्काल 50 फीसदी बीपीएल कार्ड-धारकों को राशन दिलाने का कार्य करें तथा बीपीएल कार्ड बनाने का काम करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मैं अपने आपको माननीय रेवती रमन सिंह जी के साथ सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहती हूं कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है, लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि बीपीएल लोगों की संख्या सही हो जाए, वरना वह कानून आ गया और गरीबों की संख्या आज वाली रही, तो उन्हें नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने से पहले यह काम पूरा होना चाहिए। जो बात रेवती रमन सिंह जी ने कही है, उससे मैं अपने को संबद्ध करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री अर्जुन चरण सेठी,

श्री बसुदेव आचार्य,

श्री शैलेन्द्र कुमार व

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क जी, आप लोगों को भी माननीय रेवती रमन सिंह जी ने जो कहा है, उससे संबद्ध किया जाता है।